पत्र संख्या–6/आधु0–01–07/2010(खंड)गृ0आ0......................../

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)

बिहार, पटना

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

विषय :– **पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2015–16 के अंतर्गत गैर योजना मद से स्वीकृत राशि के अंतर्गत कुल 52 अदद Passive Night Vision Binocular (L/W) के क्रय हेतु Ordnance Factory, Dehradun से प्राप्त Proforma Invoice के आधार पर अग्रिम निकासी की राशि ₹ 2,15,97,836 (दो करोड़ पन्द्रह लाख संतानवे हजार आठ सौ छत्तीस रू0) मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक–1211/आपूर्ति, दिनांक 24.11.16 के आलोक में पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2015–16 के अंतर्गत गैर योजना मद से स्वीकृत राशि के अंतर्गत कुल 52 अदद Passive Night Vision Binocular (L/W) के क्रय हेतु Ordnance Factory, Dehradun से प्राप्त Proforma Invoice के आधार पर अग्रिम निकासी की राशि ₹ 2,15,97,836 (दो करोड़ पन्द्रह लाख संतानवे हजार आठ सौ छत्तीस रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना के मांग सं0–22, मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण, उपशीर्ष–0001 – पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि, विषय शीर्ष 52 01–मशीनें एवं उपस्कर तथा विपत्र कोड N2055001150001 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. निकासी की गई अग्रिम राशि को किसी भी हालत में बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उसका व्यय अवश्य कर लिया जायेगा। अनावश्यक रूप से निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। अग्रिम राशि के विरूद्ध आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ताकि राशि सुरक्षित रहे। राशि व्यय होने के उपरांत शीघ्र नियमानुसार डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. उपर्युक्त में विभागीय मंत्री मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/आधु0–01–07/2010(खंड)गृ0आ0......10046...... पटना, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–1211/आपूर्ति, दिनांक 24.11.16 के प्रसंग में/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) बिहार, पटना/आई0टी0 ~~प्रबंधक~~, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा 22/12/16

सरकार के अवर सचिव